विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषण के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले परियोजना विवरणों की पात्रता शर्तें और प्रक्रिया

परियोजना के लिए वित्तपोषण करने हेतु विदेशी एजेंसियों द्वारा सामान्यतः निर्धारित अपेक्षाएं

- परियोजना को सुधार-उन्मुखी राज्य में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

- परियोजना राज्य/यूटिलिटी की अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजना का भाग होना चाहिए।

- दीर्घकालिक उत्पादन अवधि को ध्यान में रखते हुए विदेशी एजेंसियों द्वारा ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित परियोजना को आरईसी/विदेशी एजेंसी को परियोजना विवरण प्रस्तुत करने की तारीख से लगभग एक वर्ष बाद ही कार्यान्वयन की तालिका में शामिल किया जाना चाहिए।

- परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी कोई भी कार्य, जिसमें टेंडर मंगाना भी शामिल है, तब तक शुरू नहीं करना चाहिए जब तक विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के वित्तपोषण के अनुमोदन के बारे में सूचना प्राप्त न हो जाए।

- उधारदाता एजेंसी के प्रापण संबंधी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 100 प्रतिशत टर्नकी संविदा की शर्त भी शामिल है।

- परियोजना कार्यान्वयन और परियोजना कार्यान्वयन के बाद सतत मानीटरिंग की जाएगी ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

- ऋण से संबंधित आरईसी की अन्य सामान्य शर्तें और निबंधन प्रस्तावित प्रतिभूतियों एस्क्रो आदि के संबंध में इस पर भी लागू होंगे।

वर्तमान में विदेशी एजेंसियों द्वारा ऋण दिए जाने के लिए वरीयता क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

- ऊर्जा दक्षता, जिसमें एचवीडीएस भी शामिल है।
- ईएचवी ट्रांसमिशन
- नवीकरणीय ऊर्जा

विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषण करने के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति की संक्षिप्त प्रक्रिया

- परस्पर सहयोग के अभिनिर्धारित और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अंतःसरकारी चर्चाएं आयोजित की जाएं।
- विदेशी उधारदाता एजेंसियां उस वित्त मंत्रालय से संपर्क करें, जिसने अभिनिर्धारित क्षेत्रों में सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के लिए परियोजनाओं के प्रस्तावों की सिफारिश की है।
- वित्त मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों से परियोजना प्रस्तावों के संबंध में अनुरोध करें।
- इसके उत्तर में विद्युत मंत्रालय केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमें/राज्य विद्युत विभागों, जिसमें आरईसी भी शामिल है, को निदेश दें कि वे इस माध्यम से वित्तपोषण के लिए उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- राज्य यूटिलिटियां आरईसी को पात्र परियोजनाओं के विवरण प्रस्तुत करें।
- प्रस्तावों की संवीक्षा करने के बाद आरईसी चुनी गई परियोजनाओं के परियोजना विवरण विद्युत मंत्रालय को भेजें।
- संबद्ध मंत्रालयों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय वित्तपोषण के लिए संबंधित विदेशी एजेंसियों को परियोजना प्रस्तावों का चयन करके इनके संबंध में सिफारिश करें।
- विदेशी एजेंसियां चयनित परियोजना प्रस्तावों का स्वतंत्र मूल्यांकन करें और भेजने वाले देशों की सरकार को अपने निष्कर्षों की सूचना दें।

- विदेशी सरकारें तब विदेशी एजेंसियों द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन करें और उसकी सूचना भारत सरकार को दें।

- चयनित परियोजनाओं के संबंध में आरईसी रियायती शर्तों पर उन संगठनों को वित्तपोषण दें जो विदेशी एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर निर्भर करें।

- विदेशी एजेंसियां आमतौर पर भूमि की लागत, सामान्य प्रशासन, प्रतिपूर्ति, कर और शुल्कों के लिए वित्त व्यवस्था नहीं करती। इस धनराशि को कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा या सामान्य उधार कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा वित्तपोषण करने पर विचार किया जा सकता है।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रस्तुत किए गए सभी परियोजना प्रस्तावों को विद्युत मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/विदेशी एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में आरईसी अपने सामान्य ऋण कार्यक्रम के माध्यम से उनकी वित्तीय सहायता करने पर विचार करेगा।